



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-08062026-273235  
CG-OR-E-08062026-273235

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2791]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2026/ज्येष्ठ 18, 1948

No. 2791]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2026/JYAISTHA 18, 1948

रेलवे मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 8 जून, 2026

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20A के तहत सूचना

का.आ. 2885(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (89 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा बीस ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, ओडिशा राज्य में अंगुल जिले में विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात्, “ओडिशा राज्य में पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड डिवीज़न के अंतर्गत तालचेर बिमलागढ़ नई ब्रॉड गेज रेल पथ प्रकल्प” का निर्माण के लिए आवश्यक है। एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा करता है;

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा बीस डी की उप-धारा (एक) के तहत उक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण पर आपत्ति उठाएं;

प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, स्वतंत्र भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तालचेर विमलागढ़ नई ब्रॉड गेज रेल पथ प्रकल्प, तालचेर, जिला – अंगुल, राज्य – ओडीशा को लिखित रूप में की जाएगी, और उसके आधार निर्धारित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी कानूनी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर देगा, और उसके बाद, ऐसी सभी आपत्तियों को सुनकर और ऐसी आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आपत्तियों को अनुमति या अस्वीकार कर देता है;

उक्त अधिनियम की धारा बीस डी की उप-धारा (दो) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजना एवं अन्य विवरण उपलब्ध है तथा सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में इच्छुक व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

ओडिशा राज्य में अंगुल जिले में विशेष रेलवे परियोजना, “ओडिशा राज्य में पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड डिवीज़न के अंतर्गत तालचेर विमलागढ़ नई ब्रॉड गेज रेल पथ प्रकल्प” का निर्माण, संरचना के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिलाका नाम: अनुगुल							
क्रमांक	गांव का नाम	खाता नंबर	खसरा/ प्लॉट नं.	कुल क्षेत्रफल (एकर में)	अधिग्रहीत क्षेत्र (एकर में)	किसम	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गुरुंडियामुंडा	25/137	88/596	5.390	1.660	तैला-1	व्यक्तिगत
2	गुरुंडियामुंडा	25/138	88/597	5.900	0.980	तैला-1	व्यक्तिगत
			कुल	11.290	2.640		
3	कराड़ापाल	60/02	552/728	1.020	0.480	तैला-1	व्यक्तिगत
			कुल	1.020	0.480		

### गांव का विवरण

क्रमांक	गांवका नाम	क्षेत्रफल (एकर में)
1	गुरुंडियामुंडा	2.640
2	कराड़ापाल	0.480
	कुल	3.120

[फा. सं. CE/CON/II/BBS/TLHR-BUF/2 village/ Gurundiamunda- Karadapal/20A]

एच. अनंतरामन, चीफ इंजीनियर(निर्माण -II)

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
**[East Coast Railway(Construction)]**  
**NOTIFICATION**

Bhubaneswar, the 8th June, 2026

**Notice under Section 20A of the Railways Act-1989**

**S.O. 2885(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 1989 (24/89) (here in after referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to, is required for the execution of the **Special Railway Project**, namely, “**Talcher-Bimalagarh New B.G. Rail Link Project**” under Khurda Road Division of East Coast Railway in the State of Odisha, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely **Special Land Acquisition Officer, Talcher-Bimalagarh New B.G. Rail Link, Talcher, Dist:-Angul, Odisha** in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

**SCHEDULE**

Brief description of land (Annexure-I) (attached here with) to be acquired, with or without structures, for the **Special Railway Project**, namely, “**Talcher-Bimalagarh New B.G. Rail Link Project**” under Khurda Road Division of East Coast Railway in the State of Odisha.

Name of District: Angul							
SI.No.	Name of Village	Khata No.	Khasra/ Plot No.	Total Area (In Acre)	Acquired Area (In Acre)	Kisam of Land	Type of Land
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gurundiamunda	25/137	88/596	5.390	1.660	Taila-1	PVT.
2	Gurundiamunda	25/138	88/597	5.900	0.980	Taila-1	PVT.
<b>Total</b>				<b>11.290</b>	<b>2.640</b>		
3	Karadapal	60/02	552/728	1.020	0.480	Taila-I	PVT.
<b>Total</b>				<b>1.020</b>	<b>0.480</b>		

**Village wise Abstract.**

SL.NO.	VILLAGE	AREA (In Acre)
1	Gurundiamunda	2.640
2	Karadapal	0.480
<b>Total</b>		<b>3.120</b>

[F. No. CE/CON/II/BBS/TLHR-BUF/2 village/ Gurundiamunda- Karadapal/20A]

H.ANANTHARAMAN, Chief Engineer (Con-II)